संख्या-12 /2018/131/22-4-18-48(99)/15

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 19 फरवरी, 2018

विषय- प्रदेश की 13 कारागारों में निरूद्ध बंदियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना के लिए गठित निविदा समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3050/आधु0-1/आर0ओ0/2015, दिनांक 25.01.2018 के सन्दर्भ में तथा शासनोदश संख्या- 56/2017/772/22-4-17-48(99)/15, दिनांक-21 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति की बैठक दिनांक- 08.01.2018 एवं दिनांक 19.01.2018 को वित्तीय निविदा खोलने के उपरान्त की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार 13 कारागारों(जिला कारागार, बलिया, बागपत, ज्ञानपुर, सोनभद्र, आगरा, कासगंज, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, मेरठ, उप कारागार महोबा, केन्द्रीय कारागार, आगरा एवं नैनी) में प्रति घंटा 2000 लीटर क्षमता के आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु रू0 72,78,700/-(रूपया बहत्तर लाख अठहत्तर हजार सात सौ मात्र) की लागत पर क्रय का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

क्र0	चयनित फर्म का नाम	आर0ओ0 प्लान्ट की क्षमता	स्थापना व्यय सहित 01 अद्द आ0ओ0 प्लान्ट (समस्त मशीन/सामग्री की मूल लागत)	कुल आर0ओ0 की संख्या	13 अद्द आर0ओ0 प्लान्ट हेतु कुल प्रस्तावित लागत
1	2	3	3	4	5
1	मे0 स्टारटेक इण्टरनेशनल कानपुर	2000 लीटर	5,59,900/-	13	72,78,700/-
					(रूपया बहत्तर लाख अठहत्तर हजार सात सौ मात्र)

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति, सामग्री क्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं0-2177/एल/18-7-94-151(एस.पी.)/82 दि0-17.10.94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस.पी.)/86 दिनांक-10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुआ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ख- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

ग- आपूर्ति कर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

घ- आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रत्येक कारागार में मशीनों व टंकी आदि को रखने हेतु 15x20 का सीमेन्टेड मजबूत प्लेटफार्म एवं बारिश आदि से बचाव के लिए 15x20 फिट का टिकाऊ शेड अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।

ड.- कारागारों में स्थापित होने वाले आर0ओ0 प्लान्ट में आवश्यक विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत पावर प्वाइन्ट, बोर्ड, एमसीबी व आवश्यक केबिलिंग कार्य सहित उच्च कोटि के पाइप द्वारा टंकी को आर0ओ0 मशीन से जोड़ा जायेगा।

च- प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

छ- क्रय की गई सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

ज- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-12/2018/131(1)/22-4-18-तददिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सीनियर आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in